FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नारायण सिंह पुत्र लखा सिंह, निवासी– 84 थला चक्की, गाँव–बोरीमादा, तहसील–मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 23 / 2020

R.C.M.S. No. -2020/00097

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-6-20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 17.07.2020 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	645,46 29/06/2020
17-7-20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर) पाली के पेश की है। इस न्यायालय द्वारा प्रत्युत्तर चाहे जाने पर उन्होंने जरिये पत्रांक अवगत कराया कि उक्त सूचना जो अपी० द्वारा चाही गई वह तहसीलदार मा० जं० से सम्बन्धित होने से धारा 6(3) के तहत तह० मा० जं० को स्थानान्तरित कर अपीलांट को भी सूचित पत्रांक रा० लो० सू० अ० /6(3)/112/2020/473 दि० 4-3-20 के किया जा चुका है। वर्तमान में यह अपील लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली के विरुद्ध पोषणीय नहीं है। यह अपील लोक सूचना अधि० तह० मा० जं० को प्रेषित किया जाना विधि सम्मत था अतः अपील अपीलांट खारिज करमावें। पत्रावली ... है कि यह अपील तह० मा० जं० के ... चाहिए थी क्योंकि सूचना उन्हीं ... भी तह० मा० जं० के विरुद्ध पेश ... अपी० ... भी किया जा चुका है। अतः यह अपील लोक सूचना अधिकारी ADM पाली के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपी० को सूचित किया जावे। पत्रावली [illegible] फैसल हो। A जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:46 IST
Reason: SelfAttested